

CBI के नियमति अन्वेषण के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी

प्रारंभकि परीक्षा के लिये:

उच्च न्यायालय (HC), सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियिम, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

मुख्य परीक्षा के लियै:

CBI से संबंधित मुद्दे और सिफारिशें, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित मुद्दे और राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग

सरोत: हदिसतान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस के अंतर्गत चल रही जाँच को CBI को हस्तांतरित करने <mark>के लिये</mark> पर्याप्त तर्क न देने हेतु कलकत्ता उच्च न्यायालय की आलोचना की है तथा इस बात पर बल दिया है कि ऐसे निर्णय **नियमित न होकर** विशिष्ट, बाध्यकारी कारणों पर आधारित होने चाहिये।

राज्य में CBI के उपयोग के संबंध में क्या नयिम हैं?

- पृष्ठभूमि: हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) क्षेत्र से संबंधित भर्ती में कथित अनियमितिताओं के संदर्भ में CBI जाँच के आदेश दिंगे, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी।
 - ॰ **सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:** सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कारणों के आधार पर इस मामले के संदर्भ में CBI जाँच से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रदद कर दिया।
 - असाधारण परिस्थितियाँ: CBI जाँच का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिये, जहाँ स्पष्ट साक्ष्य हों कि
 राज्य पुलिस निष्पक्ष जाँच नहीं कर सकती है।
 - न्यायिक संयम: न्यायालय ने न्यायिक संयम के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों को CBI को जाँच हस्तांतरित करने के लिये सपषट कारण बताने चाहिये।
- CBI के उपयोग के संबंध में संबंधित निर्णय:
 - ॰ CBI <u>शिशिशिशि शिशिशिशि शिशिशिशि शिशिशिश</u> शिशिशि जाने चाहिये जब स्थानीय पुलिस की जाँच असंतोषजनक हो।
 - इसके अलावा आरोप<mark>ी यह नरि्णय</mark> नहीं ले सकता कि एजेंसी मामले की जाँच करेगी या नहीं।
 - - सर्<mark>वोच्च न्या</mark>यालय ने **केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 1969 के "सगिल डायरेक्टवि" को अमान्य कर दिया, जिसमें CBI द्वारा मामला शुरू करने और दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था।**
 - न्यायालय के फैसले से जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता मज़बूत हुई तथा सुनिश्चित हुआ कि वे राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें इसके साथ ही उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार मामलों से निपटने में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिये दिशानिर्देश दिये गए।
 - - यह निर्णय किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने के पूर्वव्यापी प्रभाव से संबंधित है।
 - - न्यायालय ने कहा कि CBI को "संवेदनशील जाँच" को छोड़कर**भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी** के बारे में बताना होगा।

भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) किस प्रकार कार्य करता है?

- परचिय:
 - CBI की स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में सथानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
 - ॰ इसकी स्थापना की सफिारिश <u>भरषटाचार निवारण पर गठित संथानम समिति</u> ने की थी।
 - CBI, दलिली वशिष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करता है।
 - यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है।
 - यह रशिवतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध और बहु-एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
 - CBI के निदशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है
 जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपिक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित सर्वोच्च
 न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- CBI की कारयप्रणाली:
 - पूर्व अनुमतिका प्रावधान: CBI को केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों में संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा किये गए किसी अपराध का परीक्षण या जाँच करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
 - हालाँक विर्ष 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस आवश्यकता को अवैध घोषति कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि DSPE अधिनियम की धारा 6A (जो इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जाँच से बचाती है)अनुच्छेद 14 का उललंघन है।
- सहमति सिद्धांत: CBI के लिये राज्य सरकार की सहमति विशिष्टि या "सामान्य" मामले में हो सकती है।
 - ॰ जब कोई राज्य, संबंधित अधिनियिम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति प्रदान करता है तो CBI को राज्य में जाँच के क्रम मेंहर बार नई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - हालाँक यदि सामान्य सहमति रद्द कर दी जाती है तो CBI को प्रत्येक जाँच के लिये संबंधित राज्य सरकार सेविशिष्ट सहमति प्राप्त करने की आवशयकता होती है।
 - विशिष्ट सहमति के बिना CBI अधिकारियों को उस राज्य में कार्य करते समयपुलिस कर्मियों के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) हाल के दिनों में विश्वसनीयता और विश्वास के संकट का सामना क्यों कर रहा है? इस संकट के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण करते हुए CBI के प्रति लोगों के विश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु उपाय बताइये।

और पढ़ें: कंद्रीय अन्वेषण बयूरो

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?|?|?|?|?|?|?|?|:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालकाि के संदर्भ में निम्नलिखति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- 1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानविृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
- 2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न: निम्नलखिति कथनों पर विचार कीजियै: (2019)

1. भारत के संवधान के 44वें संशोधन दवारा लाए गए एक अनुचछेद ने परधानमंत्री के निरवाचन को नयायिक पुनरविलोकन के परे कर दिया।

2. भारत के संवधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

[?|]?|]?|]?|

प्रश्न. एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालाँकि सी. बी. आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवैचना कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-warns-against-routine-cbi-probe

